

ଘોષણાએः

बचत बैंक खाता - नियम और नियमावली:

- बचत बैंक खातों का उपयोग केवल गैर-व्यापारिक प्रक्रिया के लेन-देन के लिए किया जाना चाहिए। यदि ऐसे लेन-देन संपन्न होते हैं अथवा ऐसे कोई भी लेन-देन पाए जाते हैं जिनमें संदेहास्पद अथवा अवांछितीय माना जा सकता है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे खातों का परिचालन एकत्रफ़ा रूप से स्थगित कर दे और/या ऐसे खातों को बंद कर दे।
 - व्याज का भ्रातान खाते में उपलब्ध दैनिक शेष राशि पर ट्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
 - ग्राहक को खाते में स्नूतमत्म औसत ट्रैमासिक शेष राशि बनाए रखना आवश्यक होगा, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो तथा खाता खोलते समय सूचित किया गया हो। बैंक/सेवा शुल्क अथवा स्नूतम शेष राशि की आवश्यकताओं में होनेवाले परिवर्तन शाखाओं के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। यदि पर्याप्त शेष राशि का रख-रखाव नहीं किया जाता है तो बैंक को औसत शेष राशि के अभाव हेतु स्थिरित शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में बैंक को उक्त खाते में उपलब्ध किसी भी शेष रुपण को उक्त खाते में पापा वसलियों की आय अथवा किसी भी

- प्रकार की जमा राशियों से प्रवाहित होने वाली धनराशि सहित, समायोजन के लिए प्राथमिक अधिकार प्राप्त होगा।
८. उपर्युक्त के बावजूद, यदि बैंक की यह राय है कि ग्राहक, औसत त्रैमासिक शेष राशि बनाए नहीं रख रहा है और/या खाता शून्य शेष पर बना हुआ है और/या खाते का समग्र आचरण संतोषजनक नहीं है, तो बैंक को १५ दिन की पूर्ण सूचना देकर खाते को बंद करने का अधिकार होगा। यदि उक्त १५ दिन की अवधि के भीतर खाते में पर्याप्त राशि जमा कर दी जाती है, तो बैंक उक्त बंद करने के अधिकार का प्रयोग न भी करे। अन्यथा, बैंक ग्राहक को १५ दिन की सूचना देकर खाता बंद कर देगा।
 ९. यदि खाते में २ वर्षों तक कोई लेन-देन नहीं होता है, तो खाता स्वतः ही निष्क्रिय खाता के रूप में वर्गीकृत हो जाता है, जिसके उपर्यंत साधारण प्रक्रिया में आगे कोई आहरण लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए ग्राहक को नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक होगा।
 १०. किसी भी प्रकार के विशेष सूचना, वाहे वे वित्तीय हों अथवा अवित्तीय (जैसे कि स्पायी निर्देश, भुगतान रोकने के निर्देश, धनादेश पुस्तिका जारी करना, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, डुप्लीकेट कार्ड / पिन जारी करना), लिखित रूप में ही बैंक को दिए जाने आवश्यक हैं। अन्यथा, ऐसे निर्देशों का पालन करना बैंक के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। लागू शुल्क ग्राहक से वसूल किए जाएंगे।
 ११. कहीं भी शास्त्रात्मक बैंकिंग (एबीबी) सुविधा तथा ऐट पार चेक सुविधा का इस्तेमाल, इन सुविधाओं के लिए निर्धारित सीमा और सेवा शुल्कों पर निभर होगा।
 १२. किसी भी पते में परिवर्तन की जानकारी, पते का प्रमाण-पत्र संलग्न कर, तुरंत लिखित रूप में बैंक को दी जानी चाहिए।
 १३. यदि खाता खोलते के लिए प्रस्तुत किए गए केवाईसी दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो खाते बंद करने के संबंध में बैंक के अधिकार सुरक्षित हैं।
 १४. चेक पर लिखी गई जानकारी स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होनी चाहिए। सीटीएस क्लियरिंग के अंतर्गत किसी भी प्रकार का परिवर्तन या कटिंग/अधिलेखन की अनुमती नहीं है। तारीख के संबंधी खानों में परिवर्तन केवल संशोधित तारीख पर आपके पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकरण करने पर ही माय्य होगा।
 १५. भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा (फॉरेंस) ट्रेडिंग के लिए भारत से बाहर किसी भी रूप में भुगतान एकत्रित करता/करती/करते हैं अथवा प्रेषित करता है, तो वह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, १९९९ (फेमा) के उल्लंघन हेतु कार्यवाही के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, वह अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धनशोधन निवारण मानकों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए भी दोषी मानी जाएगी।
 १६. मैं/हम समझता हूँ / समझते हैं कि अरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक को मेरे/हमारे खाते में होने वाले लेन-देन की सतत रूप से जाँच-पड़ताल करने का अधिकार है। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेन-देन मेरे/हमारे उस प्रोफाइल के अनुरूप हों जो खाता खोलते समय बैंक को उपलब्ध कराई गई थी। यदि मेरे/हमारे प्रोफाइल विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे तुरंत बैंक में अद्यतन कराना मेरी/हमारी जिम्मेदारी है।
 १७. नाबालिंग खाते के मामले में जब तक नाबालिंग व्यवस्था (अधिकार आयु) नहीं हो जाता, उसके खाते में होनेवाले सभी प्रकार के लेन-देन में अधिभावक उसकी ओर से प्रतिनिधित्व करेगा। अधिभावक द्वारा, नाबालिंग के खाते से की गई किसी भी निकासी/लेन-देन के संबंध में नाबालिंग द्वारा किए जाने वाले दावे के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति की जाएगी, तथा निकाली गई राशि नाबालिंग के हित हेतु ही प्रयुक्त मानी जाएगी।
 १८. जानकारी की साझा करना/प्रकटीकरण करना:
 - ए. ग्राहक, बैंक में कोई भी खाता खोलकर एवं संचालित करके, बैंक को यह अधिकार प्रदान करता है कि बैंक, ग्राहक के खाते व्यक्तिगत जानकारी (जो बैंक के पास उपलब्ध है) को उन संस्थाओं/संस्थानों के साथ साझा/प्रकट कर सकता है जिन्हें ऐसी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:
 - i. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
 - ii. भारत सरकार, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/संस्था के माध्यम से।
 - iii. न्यायालय/अव्यवधान (जाँच) एजेंसियाँ।
 - iv. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)
 - v. शेयर बाजार संबंधी अधिकृत प्रतिनिधि
 - vi. लेखापरीक्षक, पेशेवर परामर्शदाता
 - vii. त्रुटीय पक्ष सेवा प्रदाता, जिनके साथ बैंक ने 'सेवाओं/उत्पादों' पर कानूनी अनुबंध किया है और जिन्हें जानकारी तक पहुँच की आवश्यकता होगी।
 - viii. कोई अन्य कानूनी इकाई/अधिकृत व्यक्ति जो ऐसी जानकारी का उक्त करा है
 - ix. क्रण सूचना ब्यूरो, जिसमें परंतु केवल सिंचित तक सीमित नहीं है।
 - x. वित्तीय खुफिया संस्था (एफआईपी-आईएनडी)
 - xi. आयकर
 - समय-समय पर किसी भी ऐसी नियमिक निकायों, कानून प्रवर्तन संस्थाओं, राजस्व प्राधिकरणों और अन्य किसी भी प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार प्रदान किया जा सकता है। - वी. बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह ग्राहक या उसके खातों/वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी को, जैसा कि बैंक उचित समझे, उपलब्ध किसी भी सोते से प्राप्त कर सकते हैं।
 - सी. टीजेएसी सहकारी बैंक लिमिटेड ग्राहकों की संपर्क जानकारी का उपयोग सेवा और प्रचार गतिविधियों के लिए करता है। टीजेएसी सहकारी बैंक लिमिटेड इस पहलू पर खाता खोलते समय ग्राहक से स्पष्ट सहमति लेता है।
- २५. सावधि जमा:**
१. यदि किसी नियत सावधि जमा की अवधीं समाप्त हो जाती है और राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तो टीजेएसी सहकारी बैंक लिमिटेड में अवालित राशि पर बचत खाता पर लागू ब्याज दर या परिपक्ष सावधि जमा पर अनुबंधित ब्याज दर में से, जो भी कम हो, वही ब्याज दर लागू किए जाएंगे।
 २. यह जमा डीआईसीलीनी में अधिकतम रु. ५,००,०००/- तक बीमित है।
 ३. यदि जमाकर्ता टीडीएस से छूट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे नविन जमा तथा प्रत्येक नवीनीकरण के समय फॉर्म १५ जी/एच की दो प्रतियों प्रस्तुत करनी होगी। फॉर्म १५ जी/एच के विलंब या अव्यवस्थापूर्ण प्रस्तुतिकरण के कारण उत्तम होने वाली किसी भी हानि या परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, उन ग्राहकों के लिए जिनकी कर योग्य आय शून्य है, जमाकर्ता को फॉर्म १५ जी/एच के साथ पैन का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 ४. बैंक को जमा की परिपक्त राशि के निपटान के लिए बैंक निर्देश सावधि-नियत जमा को संपर्क रखता है। परिपक्त निर्देशों में कोई परिवर्तन होने पर, बैंक को परिपक्ता की तिथि से एक सप्ताह पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। कृपया भविष्य में बैंक से संपर्क के लिए खाता संख्या का उल्लेख करें।
 ५. परिपक्ता से पहले किसी भी निर्देशों के लिए, जिसमें सावधि-नियत जमा को परिपक्त होने से पूर्व नकदीकरण शामिल है, सभी जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर एवं मूल रसीद आवश्यक हैं।
 ६. यदि परिपक्त राशि के निपटान का निर्देश खाते में जमा करने या स्वयं नवीनीकरण के रूप में दिए गए हों, तो मूल सावधि-जमा रसीद रद्द कर दी जाएगी।
 ७. बैंक अपनी पूर्ण विवेकाधिकार पर सावधि जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति दे सकता है, जो दंडात्मक ब्याज के भुगतान के अधीन होगी।
 ८. यदि किसी जमाकर्ता का निधन हो जाती है, तो कोई भी एक या जीवित उत्तराधिकारी अथवा 'कोई एक' अधार पर रखे गए सावधि जमा की समयपूर्व समाप्ति और भुगतान उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी को बुरी नहीं होगा। इस प्रकार की समयपूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक शुल्क लागू नहीं होगा।
 ९. यदि सावधि-नियत जमा परिपक्त होने के १० वर्षों से अधिक समय तक अप्राप्त रहता है, तो ऐसे प्रचलित आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीआई के डीईएफ (डिपोजिट एकुकेशन एंड अवेयरनेस फंड योजना) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
 १०. बैंक जमा राशि को बचत खाते में स्थानांतरित करने के संबंध में किसी भी विवाद के लिए उत्तराधिकारी नहीं होगा, चाहे नामांकित व्यक्ति में कोई भिन्नता हो। अर्थात्, यदि सावधि-जमा खाता की नामांकित व्यक्ति जिसमें भुगतान का निर्देश दिया गया है, अलग हैं, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सावधि जमा स्थापित करते समय ग्राहक द्वारा दिया गया आदेश अनिवार्य है।
 ११. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि वह समय-समय पर नियमों में परिवर्तन कर सकता है, इसके लिए जमाकर्ताओं को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, तथा ऐसे नियम जिस दिन से प्रभावी किए जाएँगे, उसी दिन से लागू माने जाएँगे।

(This Page Intentionally Left Blank)



प्रथम आवेदक का विवरण

शाखा _____ शाखा कोड

प्राहक पहचान क्रमांक

सीकेवाईसी क्रमांक

PASSPORT SIZE
PHOTO

THUMB / SIGNATURE

आवेदक का विवरण

उपसर्ग	पहला नाम	मध्य नाम	तृतीय नाम	उपनाम	
आवेदक का नाम	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
पिता का नाम*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
पति/पत्नी का नाम*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
(यदि विवाहित स्थिति "विवाहित" है तो अनिवार्य)					
माता का पहला नाम*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
जन्म तारीख: D D - M M - Y Y Y Y	लिंगः <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> ट्रांसजेंडर				
वैवाहिक स्थिति*: <input type="checkbox"/> विवाहित <input type="checkbox"/> अविवाहित <input type="checkbox"/> अन्य कृपया उल्लेख करें _____					
राष्ट्रीयता*: <input type="checkbox"/> भारतीय <input type="checkbox"/> अन्य (आयएसओ३१६६ देश कोड): <input type="text"/>					
निवास/अधिवास स्थिति*: <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी					
जन्म देश*:	आयएसओ३१६६ जन्म देश कोड*:				
वरिष्ठ नागरिक: <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
टीजेएसबी कर्मचारी श्रेणी: <input type="checkbox"/> स्थायी <input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> लागू नहीं					
योग्यता: <input type="checkbox"/> निरक्षर <input type="checkbox"/> सातक पूर्व <input type="checkbox"/> सातक स्तर <input type="checkbox"/> सातकोत्तर <input type="checkbox"/> अन्य कृपया उल्लेख करें					
व्यवसाय/पेशा: <input type="checkbox"/> सेव (<input type="checkbox"/> निजी क्षेत्र <input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र <input type="checkbox"/> सरकारी क्षेत्र) <input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> गृहिणी <input type="checkbox"/> छात्र/छात्रा <input type="checkbox"/> अन्य कृपया उल्लेख करें					
<input type="checkbox"/> पेशेवर <input type="checkbox"/> स्वरोज़गार <input type="checkbox"/> व्यवसाय	*कृपया पेशा/स्वरोज़गार/व्यवसाय की श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें				
धर्म: <input type="checkbox"/> हिंदू <input type="checkbox"/> मुस्लिम <input type="checkbox"/> ईसाई <input type="checkbox"/> बौद्ध <input type="checkbox"/> जैन <input type="checkbox"/> यहूदी <input type="checkbox"/> पारसी <input type="checkbox"/> सिख <input type="checkbox"/> अन्य					
जाति: <input type="checkbox"/> सामान्य <input type="checkbox"/> अन्य पिछड़ा वर्ग	<input type="checkbox"/> अनुसूचित जाति	<input type="checkbox"/> अनुसूचित जनजाति	<input type="checkbox"/> घुमंतु जनजाति	<input type="checkbox"/> पिछड़ा	<input type="checkbox"/> खुलासा नहीं किया गया
<input type="checkbox"/> अन्य कृपया उल्लेख करें					
विशेष आवश्यकताएँ: <input type="checkbox"/> दृष्टिबाधित <input type="checkbox"/> दिव्यांग					
आय विवरण: <input type="checkbox"/> ० से २.५ लाख तक <input type="checkbox"/> २.५ लाख से अधिक ५ लाख तक <input type="checkbox"/> ५ लाख से अधिक १० लाख तक <input type="checkbox"/> १० लाख से अधिक १५ लाख तक					
<input type="checkbox"/> २.५ लाख से अधिक २० लाख तक <input type="checkbox"/> २० लाख से अधिक					
वार्षिक आय*: रु. _____	राशि शब्दों में _____				
निधि के स्रोत*: _____					

पैन का विवरण

पैन क्र.

प्रपत्र ६०

प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची*

दस्तावेजों की सूची	दस्तावेज़ संदर्भ संख्या	जो लागू हो उसे चिह्नित करें		जारी करने की तिथि (जहाँ उपलब्ध हो) दिन-माह-वर्ष	समाप्ति की तारीख (जहाँ उपलब्ध हो) दिन-माह-वर्ष
		पहचान प्रमाण	पते का प्रमाण		
पैन/प्रपत्र ६०					
आधार					
वीआईडी सं.					
पासपोर्ट					
ड्राइविंग लाइसेंस					
मतदाता पहचान पत्र					
नरेगा जॉब कार्ड					
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र					
अन्य मानीव ओवीडी					
१.					
२.					
३.					

स्थायी पता*

पता पंक्ति १												
पता पंक्ति २												
पता पंक्ति ३												
गाँव	तालुका				जिला				शहर			
राज्य												

पत्राचार / वर्तमान पता* ■ स्थायी पते के समान

पता पंक्ति १												
पता पंक्ति २												
पता पंक्ति ३												
गाँव	तालुका				जिला				शहर			
राज्य												

संपर्क विवरण

(प्रथम धारक का पता, ईमेल आईडी और वैकल्पिक संपर्क विवरण सभी संचार के लिए चिह्नित किए जाएँगे)

प्राथमिक मोबाइल नंबर*					वैकल्पिक मोबाइल/टेलीफोन नंबर							
ईमेल आईडी:												
(नेट/मोबाइल बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य)												

नियोक्ता / व्यवसाय विवरण

संगठन का नाम:												
कार्यभार ग्रहण/स्थापना तारीख	D D - M M - Y Y Y Y				पदनाम:							
गाँव	तालुका				जिला				शहर			
राज्य												

राजनीतिक रूप से प्रछात व्यक्तिसंबंधी विवरण

क्या आप पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) हैं?* हाँ नहीं (भारतीय/विदेशी पीईपी)
 नहीं

यदि हाँ, तो कृपया नीचे विवरण दें -

क्रम संख्या	पीईपी का नाम	पीईपी के साथ संबंध

एफएटीसीए / सीआरएस घोषणा

भारत के बाहर के क्षेत्राधिकार में कर प्रयोजन हेतु निवास

निवास के अधिकार क्षेत्र का आयएसओ३१६६ देश कोड*

कर पहचान संख्या या समकक्ष (यदि अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी किया गया हो)*

कर निवास का देश	पैन/ टीआईएन (कर पहचान संख्या) / कार्यात्मक समकक्ष	पैन/ टीआईएन जारी करनेवाला देश / कार्यात्मक समकक्ष जारी करने वाला देश	समाप्ति तारीख	प्रदान किए गए दस्तावेज़ी#

क्या आप अमेरिकी नागरिक हैं हाँ नहीं क्या आप ग्रीन कार्ड धारक हैं हाँ नहीं क्या आप अमेरिका के निवासी हैं हाँ नहीं

ए. यदि उपरोक्त किसी भी उत्तर से यह पता चलता है कि आप एक अमेरिकी व्यक्ति हैं या कर प्रयोजनों के संदर्भ में, भारत के बाहर रहने वाले निवासी व्यक्ति हैं और आपके पास करदाता पहचान संख्या या उसके समकक्ष प्रमाण नहीं हैं, तो कृपया स्वयं-प्रमाणीकरण को पूरा करके हस्ताक्षर करें।

बी. यदि आप अमेरिकी व्यक्ति होने की स्थिति को नहीं घोषित कर रहे हैं, परंतु आपका जन्मस्थान अमेरिका है, तो कृपया आपके नागरिकता त्वाग का प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो कृपया नागरिकता त्वाग प्रमाण पत्र न होने के कारण लिखित रूप में प्रदान करें: _____ कृपया स्वयं-प्रमाणीकरण भी भरें।

(i) दूरी शपथ के दंड के अंतर्गत, मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि:

१. आवेदक (i) संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) या उसके किसी राज्य या राजनीतिक उपविभाग के कानूनों के तहत अमेरिकी व्यक्ति के रूप में कर योग्य है, जिसमें कोलंबिया जिला या अमेरिका के अन्य राज्य शामिल हैं, या (ii) ऐसा एस्टेट है जिसका आय किसी भी स्रोत से होने पर भी अमेरिकी संघीय आयकर के अधीन है। (यह प्रावधान केवल तब लागू होगा जब खाता धारक को अमेरिकी व्यक्ति के रूप में पहचाना गया हो।)
- (ii) मैं/हम यह समझता हूँ / समझते हैं कि बैंक, ऊपर नामांकित आवेदक की स्थिति का निर्धारण एफएटीसीए/सीआरएस अनुपालन के उद्देश्य से इस जानकारी पर आधारित है। बैंक सीआरएस या एफएटीसीए अथवा उनके आवेदक पर संभवित प्रभाव के संबंध में कोई कर संबंधी परामर्श देने में सक्षम नहीं है। मैं/हम किसी भी कर संबंधी प्रश्न के लिए योग्य पेशेवर कर सलाहकार से परामर्श लेंगे।
- (iii) मैं/हम सहमत हूँ / हैं कि यदि इस प्रयोग की कोई भी जानकारी या प्रमाणन गलत हो जाता है, तो मैं/हम ३० दिनों के भीतर नया आवेदनपत्र प्रस्तुत करेंगा। करेंगे।

(This Page Intentionally Left Blank)

